संख्या-119 / 2018 / 2842/71-2-2018-33/2018

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. कुलपति,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई इटावा।

2. महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

3. निदेशक,
सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एण्ड हास्पिटल, लखनऊ।

4. निदेशक,
सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान, नोएडा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 20 सितम्बर, 2018

विषयः- सेवानिवृत्त प्रोफेसर को संविदा के आधार पर प्रोफेसर (कन्सलटेंट) के रूप में पुनर्नियोजित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान, नोयडा, सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एवं अस्पताल, लखनऊ, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, (PMSSY) फेज-III के अंतर्गत बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर, एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कालेज, मेरठ, एम0एल0बी0 मेडिकल कालेज झाँसी, एम0एन0एल0 मेडिकल कालेज इलाहाबाद में नवस्थापित सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक तथा बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में निर्माणाधीन बाल चिकित्सालय में राजकीय मेडिकल कालेजों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों/चिकित्सा संस्थानों के ऐसे प्रोफेसर जो अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्ति हुए है को विज्ञापन प्रकाशित कराकर सीधी भर्ती के माध्यम से रिक्त पदों के सापेक्ष संविदा के आधार पर संलग्नक (जिसका हिन्दी रूपान्तरण बाद में अलग से प्रेषित किया जायेगा) में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रोफेसर (कन्सल्टेन्ट) के रूप में पुनर्नियोजित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- संविदा के आधार पर पुनर्नियोजित प्रोफेसर (कन्सलटेंट) को एकमुश्त ₹ 2,20,000/- का मासिक पारिश्रमिक (Remuneration) प्रदान किया जायेगा।

3- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज गोरखपुर, मेरठ, झाँसी, इलाहाबाद में निर्मित सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक तथा राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में निर्मित 500 बेडेड बाल रोग चिकित्सालय में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों के आधार पर चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रोफेसर (कन्सल्टेन्ट) को पुनर्नियोजित किये जाने के आदेश निर्गत किये जायेगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एण्ड हास्पिटल, लखनऊ में निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति के आधार पर संस्थान के शासी निकाय के अनुमोदनोपरान्त प्रोफेसर (कन्सल्टेन्ट) को संविदा के आधार पर पुनर्नियोजित किये जाने के आदेश निर्गत किये जायेगे।

5- उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा में कुलपति की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों के आधार पर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के अनुमोदनोपरान्त प्रोफेसर (कन्सल्टेन्ट) को संविदा के आधार पर पुनर्नियोजित किये जाने के आदेश निर्गत किये जायेगे।

6- उपर्युक्त समस्त चिकित्सा संस्थाओं के सुपर स्पेशियलिटी विभागों में ही प्रोफेसर (कंसल्टेन्ट) को संविदा के आधार पर पुनर्नियोजित किया जायेगा।

7- प्रोफेसर के रिक्त पदों पर नियमित चयन की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जायेगी।

8- कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-119 / 2018 / 2842(1)/71-2-18-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ, झाँसी, गोरखपुर, इटावा, गौतमबुद्धनगर।
3. संबंधित प्रधानाचार्य / वित्त नियंत्रक / वित्त अधिकारी।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
5. चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1,3 एवं 4
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।